न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 18/2014

प्रार्थी
भूराराम गोदारा
खाध सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव
स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर

बनाम्

अप्रार्थी
भैरूलाल पुत्र बाबूलाल
जाति जैन निवासी राय कॉलोनी
बाड़मेर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः–1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर उपस्थित
2. श्री अमृतलाल जैन अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 23.05.2016

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 20.2.2014 को प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी द्वारा दौराने गश्त जरिये सरकारी वाहन मैसर्स पदमप्रभू ट्रेडर्स जी. 3 कृषि मण्डी बाड़मेर दोपहर 01.00 पहुँचने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम भैरूलाल पुत्र बाबूलाल जाति जैन निवासी रॉय कॉलोनी बाड़मेर बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में मैसर्स पदमप्रभू ट्रेडर्स जी. 3 कृषि मण्डी बाड़मेर का निरीक्षण करने पर दुकान में अन्य किराणा खाद्य सामग्री के साथ प्रोपराइटरीफूड (पेठा) मिला जो लगभग 30 प्लास्टिक के जारो में आम जनता को विक्रय करने के लिये रखा हुआ था। प्रोपराइटरीफूड (पेठा) में मिलावट का सन्देह होने पर उक्त प्रोपराइटरीफूड (पेठा) में से 500–500 ग्राम के कुल 4 जार सीलबन्द क्रय किये जिसका भुगतान मालिक विक्रेता को 200/– रूपये अदा किया गया। प्रत्येक जार पर लेबल चिपकाया, जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये एंव स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी 313 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किए, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर प्रार्थी व गवाहों के पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों एंव प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये उपरोक्त कार्यवाही दो गवाहो के रूबरू की गई तथा चारो नमूनो को अपने कब्जे में लिया व

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। सभी कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी–313 जॉच हेतु खाध सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर कर, नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाध पदार्थ प्रोपराइटरीफूड (पेठा) नमूना पी–313 की जॉच रिपोर्ट एलएस/एलएस/41/एक्ट/2014/60 दिनांक 13.3.2014 को अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर को भेजी जिस पर जॉच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर नमूना जॉच में प्रोपराइटरीफूड (पेठा) का नमूना मिसब्राण्ड स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाध पदार्थ प्रोपराइटरीफूड (पेठा) का विक्रय करके खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।) का उल्लंधन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति,कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति,फार्म नम्बर 5 ए,नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी 313 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अप्रार्थी की ओर से श्री अमृतलाल जैन अधिवक्ता उपस्थित हुए। जिन्होने प्रकरण को लोक अदालत की भावना से न्यूनतम जुर्माना आरोपित करने का निवेदन किया।

3. हमने दोनो पक्षों को सुना। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 20.2.2014 को गश्त करते हुए मैसर्स पदमप्रभू ट्रेडर्स जी 3 कृषि मण्डी बाड़मेर पहुॅचने पर दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में अन्य खाद्य सामग्री के साथ प्रोपराइटरीफूड (पेठा) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था। उक्त प्रोपराइटरीफूड (पेठा) में मिलावट होने का सन्देह होने पर उक्त का नियमानुसार नमूना लिया गया। जांच के दौरान प्रोपराइटरीफूड (पेठा) पी.313 नमूना जांच

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

में मिसब्राण्ड का होना पाया गया, जो खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

4. अप्रार्थी विद्वान अधिवक्तता का यह तर्क है कि अप्रार्थी द्वारा प्रोपराइटरीफूड (पेठा) में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। अप्रार्थी स्वेच्छा से एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपराध स्वीकार करता है, इसलिये प्रस्तुत परिवाद निरस्त फरमाया जावे।

5. हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाध विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/41/एक्ट/2014/60 दिनांक 13.3.2014 के अनुसार प्रोपराइटरीफूड (पेठा) मिसब्राण्ड का होना पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी भैरूलाल द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत मिसब्राण्ड पाये गये प्रोपराइटरीफूड (पेठा) बेचने का दोषी है। जिसके लिय उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप तथा लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 में अप्रार्थी भैरूलाल पर 8000/–(अक्षरे रूपये आठ हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 23.05.2016 से एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बाडमेर

निर्णय आज दिनांक 23.05.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बाडमेर